चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह व उनकी टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर अपराधी विनोद यादव पुत्र चुन्नू यादव निवासी ग्राम व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1- मु0अ0सं0 117/2012 धारा 380 भा0द0वि0 थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
2- मु0अ0सं0 162/2012 धारा 382/411 भा0द0वि0 थाना मऊ जनपद चित्रकूट
3- मु0अ0सं0 27/2013 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
4- मु0अ0सं0 161/2014 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
5- मु0अ0सं0 65/2015 धारा 395/397/412 भा0द0वि0 व 12/14 डी.ए.एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
6- मु0अ0सं0 178/2015 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
7- मु0अ0सं0 54/2016 धारा 3 यू0पी0गुण्डा एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
8- मु0अ0सं0 176/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना पहाड़ी
2.का0 राजदीप
3.का0 मिथिलेश भारद्वाज

(3).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति, पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 07.09.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 183/2021 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त विचित्रवीर उर्फ गोला यादव पुत्र मोहन लाल यादव निवासी पटियन का पुरवा मजरा अतरसुई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1100/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री

अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 07.09.2026 को थाना मानिकुपर में पंजीकृत मु0अ0सं0 29/18 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त प्रमोद उर्फ बुइया पुत्र बड़कू कोल निवासी नागर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1250/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप व उनकी टीम ने ग्राम भरथौल में हुई हत्या के शेष आरोपी वांछित अभियुक्त को **01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस** के साथ किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

गुलाब पुत्र बोधिलाल निवासी ग्राम भरथौल, थाना भरतकूप, चित्रकूट

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 03.09.2026 को वादिया संगीता दिनेश विश्वकर्मा निवासिनी नंदना थाना अतर्रा जनपद बांदा द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी कि अभियुक्त 1.गुलाब पुत्र बोधिलाल 2. बोधिलाल पुत्र सदाशिव 3.अमृता पत्नी बोधिलाल निवासीगण भरथौल थाना भरतकूप ने उनके पिता को जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडो, ईट,पत्थर से मार कर घायल कर दिया जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 148/26 धारा 103(1)/3(5)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 04.09.2026 प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय व उनकी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण को भरतकूप से ग्राम पहरा जाने वाली सड़क पर रेलवे क्रासिंग से पहले भारत बेंज के पास से अभियुक्त 1. बोधीलाल पुत्र सदाशिव निवासी ग्राम भरथौल, थाना भरतकूप, चित्रकूट अभियुक्ता 2. अम्रिता पत्नी बोधीलाल निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

आज दिनांक 07.09.2026 प्रभारी निरीक्षक भरतकूप व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शेष वांछित अभियुक्त गुलाब पुत्र बोधिलाल निवासी ग्राम भरथौल, थाना भरतकूप, चित्रकूट को भरथौल मोड के आगे पानी की टंकी के बगल से **01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस** के साथ गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 151/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय

2.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह

3.आरक्षी नागेन्द्र
4.आरक्षी शक्ति सिंह
5. आरक्षी चालक कामता सिंह

(6).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 07.09.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 132/23 धारा 279,337,338,427 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त विजय बहादुर पुत्र गयाप्रसाद निवासी भभुवा थाना मरका जिलां बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
(7).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी सिद्वान्त सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 मऊ श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 07.09.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र रघुनंदन सिंह निवासी कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।